

# कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## परिपत्र

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत राज्य में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं ऐसे माध्यमिक/उच्च माध्यमिक गैर सरकारी विद्यालय (जिनमें कक्षा 1 से 8 तक संचालित हैं) में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में कुल प्रवेशित बालकों की 25 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिया जा रहा है। इस संबंध में प्रवेश प्रक्रिया, भौतिक सत्यापन कार्य एवं गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण राशि के भुगतान कार्य में पूर्ण पारदर्शिता लाने एवं कार्य को सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु NIC केन्द्र जयपुर के सहयोग से 29 जुलाई 2013 से आरटीई वेब पोर्टल [rte.raj.nic.in/rajpsp.nic.in](http://rte.raj.nic.in/rajpsp.nic.in) पर गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ/जिशिअ प्राशि/माशि (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया से कार्य किया जा रहा है।

आरटीई पोर्टल पर FLOW BASE (चरणबद्ध रूप से) आधार पर कार्य किया जाता है। अर्थात् पोर्टल पर एक चरण (step) का कार्य पूर्ण होने के बाद ही अगले चरण (step) का कार्य किया जा सकता है। आरटीई वेब पोर्टल पर संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ/जिशिअ प्राशि/ माशि (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा चरणबद्ध तरीके से (step by step) राज्य सरकार/प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर/राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा समय समय पर जारी टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर ही निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशकार्य/भौतिक सत्यापन कार्य/पुनर्भरण कार्य समय पर संपादित किया जा सकता है तथा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित समस्त बालकों के संबंध में पुनर्भरण राशि का भुगतान संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों/बीईईओ/जिशिअ (प्राशि/माशि)/उपनिदेशक (प्राशि/माशि) के कार्यालयों को नियमित रूप से आरटीई पोर्टल पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा निर्धारित टाईम फ्रेम एवं समय समय पर जारी आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करने एवं प्रभावी मोनेटरिंग व्यवस्था करना आवश्यक है।

आरटीई वेब पोर्टल [rte.raj.nic.in/rajpsp.nic.in](http://rte.raj.nic.in/rajpsp.nic.in) के होम पेज पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं, प्रवेश, भौतिक सत्यापन एवं पुनर्भरण के संबंध में जारी आदेश/दिशा-निर्देश तथा प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर/राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश आरटीई पोर्टल पर अपलोड किये जाते हैं। अतः समस्त प्रा/उप्रा./मा./उमा. गैर सरकारी विद्यालय तथा समस्त बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/उपनिदेशक प्रा./मा. शिक्षा कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त समस्त की हार्ड कॉपी आरटीई पोर्टल से डाउनलोड करके पत्रावली में संधारित कर लेवे जिससे कार्य नियमानुसार सही व समय पर संपादित किया जा सके।

राज्य सरकार ने पत्रांक:-प 9 (1)/शि-5/10 पार्ट/दिनांक 24.09.2013 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेट अप में आरटीई अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा अनुभूत की जाने वाली कठिनाईयों के समाधान करने हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर, समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों में आरटीई प्रकोष्ठ का गठन करने तथा प्रभारी अधिकारी घोषित करने के आदेश जारी किये हैं जिसकी पालना में माध्यमिक शिक्षा सेट अप के उक्त समस्त कार्यालयों द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है। अतः माध्यमिक शिक्षा सेट अप के विद्यालयों एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा आरटीई अधिनियम के क्रियान्वयन एवं आरटीई पोर्टल पर कार्य करने में अनुभूत की जाने वाली समस्याओं के समाधान हेतु निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं जिशिअ माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों से पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए।

प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के आरटीई अनुभाग द्वारा आरटीई पोर्टल पर प्रदर्शित विभिन्न रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर समीक्षा की जाती है। समीक्षा उपरान्त पाया गया कि कुछ प्रा0/उप्रा/मा/उमा गैर सरकारी विद्यालयों एवं संबंधित बीईईओ/जि.शि.अ. प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य सम्पादित नहीं करने अथवा धीमी गति से कार्य करने की स्थितियां प्रकट हो रही हैं, जिसके कारण गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं सत्यापित समस्त बालकों की

प्रथम/द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब होता है अथवा विद्यालय पुनर्भरण राशि के भुगतान से वंचित रह जाते हैं। विभिन्न गैर सरकारी विद्यालयों/जिशिअ प्राशि/माशि (प्रथम/द्वितीय)/बीईईओ कार्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर टाईम फ्रेम के अनुसार समय पर कार्य संपादित नहीं करने/गैर सरकारी विद्यालयों की स्वयं की लापरवाही/विभिन्न कार्यालयों की शिथिलता के कारण पुनर्भरण राशि की प्रथम/द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं होने पर अनावश्यक रूप से प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को परिवेदनाएं प्रेषित करना/पत्र व्यवहार किया जाता है। ऐसी परिवेदनाओं/पत्रों पर निदेशालय द्वारा प्रभावी कार्यवाही/समाधान किया जाना संभव नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को मानसिक/शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है अथवा फीस की मांग की जाती है अथवा विद्यालय से निष्कासन का प्रयास किया जाता है जिससे आरटीई एक्ट 2009 की धारा 16 व 17 का उल्लंघन होता है। जबकी निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों/अभिभावकों का कोई दोष नहीं होता। अतः इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र क्रमांक:-शिविरा/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर/18891/15-16/619 दिनांक 29.06.2016 के अतिक्रमण में निर्देशित किया जाता है कि-

(A) प्रा/उप्रा एवं ऐसे मा/उमा गैर सरकारी विद्यालय (जिनमें कक्षा 1 से 8 तक संचालित है) द्वारा आरटीई पोर्टल पर करणीय कार्य एवं दायित्व-

1. यदि किसी गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालय के लिए क्रमोन्नति आदेश जारी किये जाते हैं तो संबंधित उच्च प्राथमिक गैर सरकारी विद्यालय का दायित्व होगा की वह तत्काल माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति आदेश संलग्न करते हुए विद्यालय के स्तर में परिवर्तन करने बाबत संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। संबंधित जिशिअ प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जिशिअ माध्यमिक शिक्षा से पुष्टि करने के बाद जिशिअ प्रारंभिक शिक्षा के लॉगईन से संबंधित विद्यालय को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में नाम परिवर्तन करेगा, जिससे वह विद्यालय माध्यमिक शिक्षा सेटअप में दिखाई देने लगेगा। इस संबंध में विद्यालय जिशिअ माध्यमिक शिक्षा को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचित करेगा। आरटीई से संबंधित आगामी समस्त कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा संपादित की जायेगी। यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय द्वारा माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नति के पश्चात तत्काल उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र संबंधित जिशिअ प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण भौतिक सत्यापन कार्य अथवा भुगतान कार्य में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने/पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं होने पर विद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय का शाला भवन परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन (हिन्दी/अंग्रेजी)/विद्यालय का नाम परिवर्तन करने/क्रमोन्नति के आदेश विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं अथवा विद्यालय के ब्लॉक में परिवर्तन/वार्ड संख्या में परिवर्तन /विद्यालय द्वारा बैंक खाता संख्या में परिवर्तन किया जाता है तो राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में ही स्कूल प्रोफाईल में आरटीई पोर्टल पर नियमानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
3. राज्य सरकार/राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर/प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा समय समय पर जारी टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समयवाधि में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्य पूर्ण करना/स्कूल प्रोफाईल अपडेट करना/एन्ट्री लेवल कक्षा में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित 25 प्रतिशत बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत प्रवेशित बालकों की सही सूचना आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करना।
4. निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित 25 प्रतिशत बालकों का भौतिक सत्यापन होने पर उसी दिन भौतिक सत्यापन दल से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी 03 दिवस में सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अनिवार्य रूप से सही-सही अपलोड कर लॉक करना।
5. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्राशि/माशि (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर ऑनलाईन मिलान करने पर लगाये गये आक्षेप की 03 दिवस में नियमानुसार ऑनलाईन पूर्ति कर अनिवार्य रूप से पुनः लॉक करना।
6. संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्राशि/माशि (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर ऑनलाईन मिलान करने पर सही पाये जाने पर verified करने के 03 दिवस में प्रथम किस्त के भुगतान हेतु क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) की हार्ड कॉपी पोर्टल से डाउनलोड कर (अध्यक्ष/सचिव से हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्राशि/माशि (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय को राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार

निर्धारित अवधि से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित करना तथा उसी दिन आरटीई वेब पोर्टल पर इसका इन्द्राज करना।

7. शैक्षिक सत्र में द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) की हार्ड कॉपी पोर्टल से डाउनलोड कर (अध्यक्ष/सचिव से हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा शिक्षा/मा शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय को राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित अवधि से पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित करना तथा उसी दिन आरटीई वेब पोर्टल पर इसका इन्द्राज करना।
8. आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों को प्रवेश के समय पाठ्य-पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराना।
9. गैर सरकारी विद्यालय द्वारा आरटीई वेब पोर्टल [rte.raj.nic.in/rajpsp.nic.in](http://rte.raj.nic.in/rajpsp.nic.in) से नियमित रूप से आदेश/निर्देश डाउनलोड कर अद्यतन जानकारी प्राप्त करना।
10. आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के संबंध में आवश्यक समस्त अभिलेख/दस्तावेज (प्रमाण पत्र, प्रवेश आवेदन पत्र, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, क्लेम बिल आदि की प्रति) विद्यालय में सुरक्षित रखना।
11. यदि किसी भी प्राथमिक/उप्रा/माध्यमिक/उमा गैर सरकारी विद्यालय की स्वयं की लापरवाही/शिथिलता के कारण आरटीई पोर्टल पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में कार्य संपादित नहीं करने की स्थिति में (आरटीई पोर्टल बंद हो जाने पर) कोई भी गैर सरकारी विद्यालय पुनर्भरण की प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान से वंचित रहता है तो संबंधित विद्यालय इसके लिए उत्तरदायी होगा तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों से किसी भी प्रकार का शुल्क प्राप्त नहीं कर सकेगा और ना ही बालकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने अथवा शाला से निस्काषण की कार्यवाही नहीं कर सकेगा। यदि विद्यालय द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो आरटीई एक्ट 2009 की धारा 16 व 17 का उल्लंघन होगा। संबंधित गैर सरकारी विद्यालय उन बालकों की निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने का उत्तरदायी होगा।

**(B) बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/ मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा आरटीई पोर्टल पर करणीय कार्य एवं दायित्व-**

1. राज्य सरकार/राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर/निदेशालय स्तर से समय-समय पर जारी टाईम फ्रेम के अनुसार निर्धारित समय में गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में कार्यालय में कार्यरत एपीसी आरटीई/आरटीई प्रभारी अधिकारी की देखरेख में आरटीई सेल का गठन कर नियमित रूप से प्रभावी मोनेटरिंग करते हुए समय पर कार्यों को पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करना।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार प्रा/उप्रा गैर सरकारी विद्यालयों का संबंधित बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा तथा माध्यमिक/उ.मा. गैर सरकारी विद्यालयों का संबंधित जिशिअ मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) द्वारा निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन करवाने हेतु आवश्यकतानुसार सत्यापन दलों का गठन करना, भौतिक सत्यापन दलों का प्रशिक्षण करवाना, ब्लॉक/जिले में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त ऐसे समस्त प्रा/उप्रा/मा/उमा गैर सरकारी विद्यालय जिनमें 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं पूर्व शैक्षिक सत्रों के क्रमोन्नत समस्त बालकों का भौतिक सत्यापन निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार पूर्ण करवाना।
3. भौतिक सत्यापन/निरीक्षण रिपोर्ट कार्यालय स्तर पर अनुभवी कार्मिक/अधिकारी से जांच करवाकर समस्त बिन्दुओं की पूर्ति एवं पुनर्भरण की स्पष्ट अनुशंसा सहित (कोई कॉलम खाली न हो) सत्यापन करने की तिथि से 03 दिवस में भौतिक सत्यापन दल के अध्यक्ष से संबंधित कार्यालय में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करना।
4. ब्लॉक/जिले में भौतिक सत्यापन करवाये गये प्रा/उप्रा/मा/उ.मा गैर सरकारी विद्यालयों की संख्या एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कार्यालय में प्राप्त होने की संख्या आरटीई पोर्टल पर संबंधित कार्यालय द्वारा नियमित रूप से अपलोड करना।
5. ब्लॉक/जिले में संचालित ऐसे समस्त प्रा/उप्रा/मा/उ.मा गैर सरकारी विद्यालय जिनका भौतिक सत्यापन करवा दिया है, उन समस्त विद्यालयों से भौतिक सत्यापन रिपोर्ट सत्यापन करने के 03 दिवस में आरटीई पोर्टल पर अपलोड कर लॉक करवाना तथा उन समस्त विद्यालयों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट को आगामी 03 दिवस में ऑनलाईन मिलान कर **verified** करना।


6. ब्लॉक/जिले में संचालित ऐसे समस्त प्रा/उप्रा/मा/उ.मा गैर सरकारी विद्यालय जिनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाईन मिलान करने पर कार्यालय द्वारा आक्षेप लगाये गये हैं उन आक्षेपों की पूर्ति संबंधित प्रा/उप्रा/मा/उ.मा गैर सरकारी विद्यालयों से आगामी 03 दिवस में करवाना।
7. ब्लॉक/जिले में संचालित ऐसे समस्त प्रा/उप्रा/मा/उ.मा गैर सरकारी विद्यालय जिनकी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आरटीई पोर्टल पर संबंधित कार्यालय द्वारा ऑनलाईन **verified** कर दी है उन विद्यालयों से राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार प्रथम किस्त का क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) की (अध्यक्ष/सचिव से हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से प्राप्त करना व तत्संबंधी रजिस्टर संधारित करना।
8. शैक्षिक सत्र में प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों से क्लेम बिल (दावा प्रपत्र) की (अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षरित) हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड (एडी) डाक से प्राप्त करना व तत्संबंधी रजिस्टर संधारित करना।
9. प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से प्राप्त बजट राशि के अनुसार राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु नियमानुसार पास आर्डर (भुगतान आदेश) आरटीई पोर्टल से ऑनलाईन जारी कर बिल बनाकर कोषालय (ट्रेजरी) प्रेषित करते हुए पुनर्भरण राशि संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अंतरित करवाना।
10. बीईईओ/जिशिअ प्रा.शिक्षा/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा आरटीई पोर्टल पर नियमित रूप से प्रभावी मोनिटरिंग करते हुए पोर्टल से आदेश/निर्देशों को डाउनलोड करना, पोर्टल पर वांछित सूचनाओं को कार्यालय स्तर पर अपलोड करवाना, ब्लॉक/जिले में संचालित ऐसे समस्त प्रा/उप्रा/मा/उ.मा गैर सरकारी विद्यालय जो निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार आरटीई पोर्टल पर कार्य नहीं कर रहे हैं उनको नोटिस जारी करना तथा भुगतान से वंचित रहने की स्थिति में ऐसे गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा निर्बाध रूप से पूर्ण हो इसकी व्यवस्था करना।
11. जिशिअ प्रा. शिक्षा कार्यालय में कार्यरत एपीसी आरटीई/शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी तथा बीईईओ कार्यालय में कार्यरत एबीईओ (आरटीई प्रभारी अधिकारी) की देखरेख में आरटीई पोर्टल पर संपादित होने वाले विभिन्न कार्यों की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित करना।
12. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के पत्रांक प.9 (1)/शि-5/10 पार्ट दिनांक 24.09.2013 के अनुसरण में कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी को आरटीई प्रभारी अधिकारी घोषित कर आरटीई पोर्टल पर संपादित होने वाले विभिन्न कार्यों की प्रभावी मोनिटरिंग सुनिश्चित करना।
13. बीईईओ/जिशिअ प्रा.शि/मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में आरटीई से संबंधित समस्त अभिलेख (भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, क्लेम बिल की प्रति, आदेश/निर्देशों की पत्रावली) सुरक्षित रखना।
14. बीईईओ/जिशिअ प्रा. शि/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालय में आरटीई संबंधी कार्य संपादन हेतु पूर्णकालिक मंत्रालिक संवर्ग के कार्मिक को दायित्व सौंपना।
15. राज्य सरकार/विभाग द्वारा जारी टाईम फ्रेम के अनुसार बीईईओ/जिशिअ प्रा. शिक्षा/मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा समय पर आरटीई पोर्टल पर कार्य सम्पादन नहीं करने के कारण यदि गैर सरकारी विद्यालय पुनर्भरण की प्रथम/द्वितीय किस्त के भुगतान से वंचित रहता है तो संबंधित उपनिदेशक प्रा शिक्षा/मा. शिक्षा कार्यालय द्वारा प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

**(c) उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा आरटीई पोर्टल से संबंधित करणीय कार्य एवं दायित्व:-**

1. उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में राज्य सरकार के पत्रांक प.9(1)शिक्षा-5/10 पार्ट दिनांक 24.09.13 के अनुसरण में कार्यालय में कार्यरत सहायक निदेशक/उप निदेशक (कनिष्ठ) को आरटीई

- प्रभारी अधिकारी घोषित कर आरटीई सेल का गठन किया जाकर मण्डल के अधीन जिशिअ मा. शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर किये जाने वाले कार्यों की प्रभावी मोनेटरिंग करना।
- उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में आरटीई सैल द्वारा आरटीई पोर्टल पर मण्डल के नियंत्रणाधीन समस्त बीईईओ/जिशिअ प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई संबंधी किये जाने वाले कार्यों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा कर संबंधित कार्यालयों को तत्संबंधी निर्देश प्रदान करना तथा की गई कार्यवाही की सूचना प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित करना।
  - बीईईओ/जिशिअ प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) कार्यालयों द्वारा आरटीई पोर्टल पर किये जाने वाले कार्यों के संबंध में लापरवाही/शिथिलता पायी जाने की स्थिति में प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट के विश्लेषण के आधार पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही करना/अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रेषित करना।

उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देश विद्यालय/अभिभावक/बालक/कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों के कार्य करने में सुविधा की दृष्टि से प्रसारित किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मूल रूप में आरटीई के संबंध में आरटीई एक्ट 2009, राज्य नियम 2011 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाना है।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

कमांक:-शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर/18891/17-18/27 दिनांक:- 11-5-2017  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव शासन सचिव माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा शासन सचिवालय जयपुर
- निजी सचिव आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल जयपुर
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ उपनिदेशक मा.शिक्षा/जिशिअ मा.शिक्षा (प्रथम/द्वितीय) तथा गैर सरकारी माध्यमिक/उ.मा विद्यालयों को उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना करने हेतु पाबंद करने का श्रम करावें।
- निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर
- निजी सहायक वित्तीय सलाहकार प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर
- उपनिदेशक (आरटीई)/सहायक निदेशक (आरटीई) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर
- प्रमुख प्रणाली विश्लेषक NIC केन्द्र खण्ड-6, प्रथम तल शिक्षा संकुल जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को आरटीई पोर्टल के होम पेज पर अपलोड कर प्लेश करने का श्रम करें।
- समस्त उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा.....को पालनार्थ।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)/ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करते हुए संबंधित गैर सरकारी विद्यालयों से भी तदनुसार पालना करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- समस्त प्रा./उ.प्रा.वि. एवं ऐसे मा./उ.मा गैर सरकारी विद्यालय (जिनमें कक्षा 1 से 8 तक संचालित है) को पालनार्थ।
- वरिष्ठ सम्पादक शिविरा पत्रिका को दो प्रतियों में प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र शिविरा पत्रिका के माह जुलाई, 2017 के अंक में प्रकाशित करावें।

  
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर